संख्या-255/2023/441/नौ-5-2023/003-175BUDGET-2011

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रख- रखाव /अनुरक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र संख्या-7912/मु०अ०/रामगंगा/गं०बै०अनु०/ दिनांक 23-12-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु प्रावधानित धनराशि रू० 330.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-28/2023/2889/नौ-5-2023/001-175बजट/2011, दिनांक 16-06-2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 82.50 लाख एवं शासनादेश संख्या- 112/2023/4368/नौ-5-2023/002-175बजट/2011, दिनांक 12-09-2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 82.50 लाख का उपयोग हो जाने के दृष्टिगत **तृतीय किश्त के रूप में रू० 82.50 (रूपये बयासी लाख पचास हज़ार मात्र)** लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	मद
1	गेटो के रखरखाव, मरम्मत/पहियों को बदलना, गाइड रोलर्स, रोपस, सीलस, गेटों की पेन्टिंग, आपरेटिंग प्लेटफार्म, सुपरस्ट्रक्चर एवं बैलेंस बाक्स इत्यादि।
2	बिजली बिल 150 केबीए इलेक्ट्रिक कनेक्शन
3	वेयरिंग कोट फर्श, लांचिंग अप्रंग सी०सी० ब्लाक्स की बाढ़ के कारण मरम्मत
4	मार्जिनल बंध, एफलेक्स बंध, गाइड बंध की मरम्मत
5	लाइट फिटिंग व इलेक्ट्रिक लाइट की मरम्मत
6	नालों की सफाई एवं रख-रखाव
7	रिजर्वायर एरिया में जलकुम्भी की सफाई
8	बैराज के ऊपर के पुल का रख-रखाव
9	सिक्योरिटी स्टाफ-एक गनर दो गार्डस दो जगहों पर प्रत्येक शिफ्ट के लिए तथा सामान्य सुरक्षा हेतु दो गार्ड प्रत्येक शिफ्ट के लिए
10	साइट आफिस एवं कन्ट्रोल रूप के रख-रखाव
11	बिल्डिंग मेन्टीनेन्स-अनावासीय आफिस एवं फील्ड हास्टल के रख-रखाव, आवासीय भवनों का रख-रखाव, मार्ग के रख-रखाव, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति (विद्युत देयों को शामिल करते हुये) सेनिटेशन
12	अधिष्ठान व्यय

-2-

SO GO 2021 वित्तीय स्वीकृति

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्टआफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यो पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यो पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(6) इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 82,50,000 (रुपये बयासी लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2215011010400 गंगा बैराज, कानपुर **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या– E-9-451-X-2023-24-दिनांक: 16-01-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
16.01.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-255/2023/441(1)/नौ-2023/003-175BUDGET-2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, कानपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर।
6- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
9- वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10- मुख्य अभियन्ता(राम गंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 98-कैनाल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
16.01.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।